तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
06-08-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री एसके शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय नदबई मु0 भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–07–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सपठित आदेश 9 नियम 9 सीपीसी आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया। प्रकरण सन् 2001 से दर्ज रजिस्टर होकर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख तलब किये जाने बाबत् कई पत्र जारी करने के उपरांत भी आदिनांक तक अभिलेख अप्राप्त होने के कारण प्रकरण का निणर्य पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के आक्षेपित आदेशों के अवलोकन उपरांत किया जा रहा है। 2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थी के द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय नदबई के समक्ष विवादित आराजी बाबत पेश किया। जो दिनांक 08.08.95 को विचारण न्यायालय ने अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिसे पुनः नबंर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 प्रस्तुत किया जो दिनांक 15.04.98 को अदम हाजरी में खारिज हुआ। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.07. 2002 द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश की अपील न होकर निगरानी होना मानते हुए अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल में प्रस्तुत की गई	

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी तथ्यों को नजरअदांज करते हुये बिना किसी आधार के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी विधिक त्रुटि की है। प्रार्थी को सुनवाई के विधिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर कोस्ट लगाकर भी वाद को पुनः नंबर पर लिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रार्थी अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पायेगा। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर वाद पत्र को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण के द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय नदबई के समक्ष विवादित आराजी बाबत पेश किया, जो दिनांक 08.08.95 को विचारण न्यायालय ने अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिसे पुनः नबंर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 15.04.98 को अदम हाजरी में खारिज हुआ। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17.07. 2002 द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश की अपील न होकर निगरानी होना मानते हुए अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल में प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने वादी के वाद के प्रति उदासीन रहने व दावे में पैरवी में रूची नहीं रखने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। तथापि हम न्यायहित में यह उचित समझते है कि प्रार्थी को एक अवसर दिया जावे। ताकि प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। प्रार्थी को सुनवाई के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से वंचित नहीं किया जा सकता।

5. यह सही है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत करते वक्त न्यायालय में अपनी अनुपस्थिति बाबत् कोई सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये थे इसके लिये प्रार्थी पर कॉस्ट लगायी जा सकती है किन्तु प्रार्थी को मूल वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित किया जाना उचित नहीं है। व्यापक न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये हस्तगत् निगरानी प्रार्थना पत्र रू.1000/– की कॉस्ट भुगतान करने की शर्त

पर, अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय नदबई मु. भरतपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 17–07–2000 अपास्त करते हुये, प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित मूल प्रार्थना पत्र को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लेने का आदेश देते हुये विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, द्वितीय नदबई को निर्देश दिया जाते है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद पत्र को पुनः नंबर पर लेते हुये उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य